# पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

## आदेश

विषय : — त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान।

कांड के अनुसंधानक काण्ड प्रतिवेदित होते ही अनुसंधान तथा काण्ड दैनिकी का आलेखन प्रारंभ करें। इसके लिए पर्यवेक्षण टिप्पणी का इंतजार न किया जाय। प्रतिदिन की गयी अनुसंधान की कार्रवाई का ब्यौरा उसी दिन काण्ड दैनिकी में दर्ज किया जाय। पर्यवेक्षण टिप्पणी की प्राप्ति की प्रत्याशा में काण्ड दैनिकी का आलेखन लम्बित रखना द0प्र0सं0 की धारा 172 का घोर उल्लंघन है।

(2) पर्यवेक्षी पदाधिकारी काण्ड का प्रर्यवेक्षण यथाशीघ्र करें और सुसंगत निर्देश पर्ची (Direction Slip) घटनास्थल पर ही अनुसंधानकर्त्ता को निर्गत कर दें तथा विस्तृत पर्यवेक्षण टिप्पणी हर हालत में घटना के एक सप्ताह के अन्दर निर्गत करें। पर्यवेक्षी पदाधिकारी अद्यतन काण्ड दैनिकी के आधार पर ही प्रगति प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन निर्गत करें।

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक–63/गो0, दिनांक –06.06.2016 का भी अवलोकन/अनुपालन करें।

(3) कांड से संबंधित जख्म प्रतिवेदन/शव परीक्षण प्रतिवेदन (Injury Report/Postmortom Report) अनुसंधानकर्त्ता तत्परातापूर्वक चिकित्सक से प्राप्त करें। वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक चिकित्सीय प्रतिवेदन हेतु चिकित्सक को प्रति सप्ताह स्मारित करें तथा उसके बावजूद प्राप्त नहीं कराने पर धारा 201 भा0द0वि0 के तहत साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई करें।

(4) जख्म प्रतिवेदन/शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये स0अ0नि0 स्तर के एक जवाबदेह पुलिस पदाधिकारी को अस्पताल में प्रतिनियुक्त करें।

(5) सुरक्षित रखे गये विसरा को संबंधित न्यायालय से आदेश प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजें। सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) अपनी मासिक अपराध समीक्षा में यह सुनिश्चित करें कि गत माह की 25 तारीख के पूर्व का कोई विसरा माह की अंतिम तिथि को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना लम्बित नही है।

(6) महत्वपूर्ण एवं सनसनीखेज काण्डों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ दल को घटनास्थल पर बुलायें तथा उनके सहयोग से वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों (Material Evidence) की पहचान, संग्रहण तथा पैकिंग (Packaging) कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित करें।

(7) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय–वस्तु को साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान कराने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65(बी) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक–639/एक्स0एल0, दिनांक 26.02.2014 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक जिला/क्षेत्र/प्रक्षेत्र के स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर अनुसंधानकर्त्ताओं को इन प्रावधानों के प्रति संवेदी बनायें।

(8) सिर्फ स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आरोप–पत्र (Charge- Sheet) समर्पित न करें। पर्याप्त Corroborative एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही आरोप–पत्र दिया जाय।

(9) आरोप–पत्र समर्पित करने के पूर्व सम्बद्ध अभियोजन पदाधिकारी से जाँच (Vetting) करा लें ताकि उनके द्वारा इंगित किये गये त्रुटियों का अभियोजन के हित में निराकरण करने के बाद त्रुटिहीन आरोप–पत्र समर्पित हो सके। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा ज्ञापांक–1081, दिनांक–08.12.2014 के माध्यम से भी अपराध के अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(10)यदि किसी थाना क्षेत्र से महत्वपूर्ण एवं सनसनीखेज काण्ड प्रतिवेदित होता है तो विशेष अनुसंधान दल गठित कर अनुसंधान/उद्भेदन की दिशा में ठोस कार्रवाई प्रारंभ करें। ऐसे कांडों में कृत कार्रवाई की समीक्षा दैनिक स्तर पर वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं करें।

(11) धारा–167 द0प्र0सं0 के अनुसार संबंधित काण्डों में अभियुक्तों की गिरप्तारी के उपरान्त निर्धारित अवधि के तहत अंतिम प्रपत्र समर्पित करें। द0प्र0सं0 की धारा–167(2) का लाभ यदि अभियुक्त को मिलता है तो वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अनुसंधानक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें।

(12) सारगर्भित साक्ष्य–ज्ञाप के आधार पर न्यायालय से वारंट प्राप्त होने के बाद लगातार छापामारी कर वारंट का तामिला सुनिश्चित करें। अभियुक्त की गिरप्तारी/आत्मसमर्पण न होने की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर द0प्र0सं0 की धारा–82/83 के अन्तर्गत अनुसंधानकर्त्ता इश्तेहार/कुर्की हेतु अनुरोध करें। न्यायालय से कुर्की प्राप्त होते ही प्राप्ति की तिथि को ही कारगर कुर्की करायें तथा कुर्की की विडियोग्राफी करायें।

(13) प्रक्षेत्रीय म0नि0 एवं क्षेत्रीय उ0म0नि0 प्रत्येक माह कम से कम 30 कांडों का स्वयं पर्यवेक्षण या समीक्षा अवश्य करें और कांड का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

(14) त्वरित विचारण के मामलों का प्र0म0नि0 एवं क्षेत्रीय उ0म0नि0 व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगें और पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदन देगें।

(15) शराब बंदी के उलंघन के वैसे मामले जिनमें पुलिस की संलिप्तता की शिकायत प्राप्त हो उनकी जाँच प्र0म0नि0/उ0म0नि0 द्वारा स्वयं की जाय। और सत्य पाए जाने पर तत्काल सख्त कारवाई की जाये।

11/3/18

**पुलिस महानिदेशक,**

**बिहार, पटना।**

**ज्ञापांक.....31...../गो0**

**पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।**

**पटना, दिनांक.....11/03/2018.**

**प्रतिलिपि :–**

1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेलवे सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, मद्यनिषेध, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

11/3/18

**पुलिस महानिदेशक,**

**बिहार, पटना।**